बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्राक योо0स्था01/3–01/2017 5315 /यो0वि0,पटना, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

प्रेषक,

डा0 दीपक प्रसाद,
प्रधान सचिव

सेवा में,

निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, सांख्यिकी
सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

विषय **बिहार सांख्यिकी सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि बिहार साख्यिकी सेवा के गठन के पश्चात् इस सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी के निर्धारण का मामला विचाराधीन था।

1 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य मे सम्यक विचारोपरात राज्य सरकार द्वारा इस सेवा के पदाधिकारियो एवं कर्मियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियो के प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है।

क्र0	पदाधिकारी का स्तर	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी
1	वरीय संयुक्त निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	प्रधान सचिव	मत्री
2	संयुक्त निदेशक अर्थ एवं साख्यिकी निदेशालय	निदेशक, अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय	प्रधान सचिव	मत्री
3	उप निदेशक अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय स्थापना)	निदेशक, अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय	प्रधान सचिव	मत्री
4	उप निदेशक (प्रमडलीय स्थापना)	प्रमण्डलीय आयुक्त	प्रधान सचिव	मत्री
5	सहायक निदेशक (मुख्यालय स्थापना)	उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	निदेशक अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय	प्रधान सचिव
6	जिला साख्यिकी पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी	निदेशक अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय	प्रधान सचिव

2 वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च तक) की समाप्ति पर सभी पदाधिकारियो के द्वारा अपनी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के लिए स्व–मूल्याकन प्रपत्र/सांख्यिकी अनुपूरक 30 अप्रैल तक अपने–अपने प्रतिवेदक प्राधिकार को समर्पित कर दी जाय। सबधित पदाधिकारियो से यह प्रपत्र/सांख्यिकी प्राप्त नहीं होने पर सबंधित कार्यालय के स्थापना के पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का विहित प्रपत्र प्रविष्टि कर प्रतिवेदक पदाधिकारी के समक्ष 30 मई तक अभ्युक्ति अभिलेखन हेतु उपस्थापित/प्रेषित कर दिया जाय। संबधित प्रतिवेदक प्राधिकार के द्वारा 15 जुलाई तक वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अवश्य अभिलिखित कर दी जाय।

3 प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियॉ प्राप्ति के एक माह के अन्दर समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकरण द्वारा अभिलेखित कर दी जाय। इस प्रकार वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अभिलेखन वर्ष के 30 सिंतबर तक पूर्ण कर लिया जाय। प्रतिवेदक पदाधिकारी अपने द्वारा अकित गोपनीय अभ्युक्ति की एक प्रति सबधित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित साख्यिकी अनुपूरक विवरणी के साथ प्रशासी विभाग को भेजेगे।

4 जहॉ प्रतिवेदक पदाधिकारी निर्धारित समय सारणी के अनुरूप अपनी अभ्युक्ति अकित नही करते है, वहॉ समीक्षी पदाधिकारी के द्वारा अभ्युक्ति सीधे अकित की जाएगी। जिसके लिए प्रशासी विभाग के द्वारा सबंधित पदाधिकारी से प्राप्त साख्यिकी अनुपूरक विवरणी की प्रति समीक्षी पदाधिकारी को भेजेगे ताकि समीक्षी पदाधिकारी गोपनीय अभ्युक्ति अंकित कर सकें।

साथ ही प्रतिवेदक पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात का उल्लेख करेगे कि उनके द्वारा समय पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अभिलेखन नहीं किया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन के सबध मे पूर्व निर्गत आदेश तदनुसार सशोधित समझे जाऍगे।

इसका अनुपालन अचूक रूप से किया जाय।

विश्वासभाजन

(डा0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव